न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :-15/2014/भीलवाड़ा

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र यशवन्त सिंह जाति राजपूत चुण्डावत, निवासी ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा व जिला भीलवाड़ा।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती उर्मीला पत्नि सुरेशचन्द्र पालीवाल निवासी ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा व जिला भीलवाड़ा।

--असल प्रत्यर्थी

2. श्रीमती चंदा पत्नि दिनेशचन्द्र ब्राहम्ण।
3. सीमा पुत्री दिनेश
4. लीला उर्फ नीलम पुत्री दिनेश
5. रवि पुत्र दिनेश
6. श्रीमती मांगी बेवा भंवरलाल ब्राहम्ण
7. रोहित पुत्र दीपक उर्फ चंन्द्रशेखर नाबालिग जरिये माता निर्मला देवी
8. श्रीमती निर्मला पत्नि दीपक उर्फ चंन्द्रशेखर नाबालिग शर्मा समस्त निवासी ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा व जिला भीलवाड़ा।

-तरतीबी पक्षकार

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 09.10.13 अन्तर्गत अपील संख्या 25/2013 जिसके द्वारा तहसीलदार जी सहाड़ा मु0 गंगापुर द्वारा दिनांक 10.09.1998 को पारित नामातंरण संख्या 43 को निरस्त किया गया।

<u>उपस्थित अभि0:-</u>

1. अपीलांट अभि0- श्री आर0एस0राणावत
2. रेस्पोडेंट अभि0-श्री समीर अहमद-1, श्री तेजसिंह

<u>निर्णय</u> दिनांकः-29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोशीथल तहसील गंगापुर जिला भीलवाड़ा में विवादित खसरा नम्बर 1857 एवं 1858 के सहखातेदार भंवरलाल एवं गणपतलाल पुत्र मांगीलाल ब्राहम्ण थे। भंवरलाल का हिस्सा 1/2 था। भंवरलाल की मृत्यु के बाद विरासती नामातंरण संख्या 43 दिनांक 10.09.1998 से भूमि भंवरलाल के पुत्र दिनेश एवं बेवा मांगीदेवी के नाम बराबर हिस्से से दर्ज की गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 का पिता दिनेश था। रेस्पोडेंट उर्मिलादेवी द्वारा यह कहते हुए कि वह भी भंवरलाल की पुत्री होकर उसकी संपदा में प्रथम श्रेणी की वारिस होने से नामातंरण के हिस्से [illegible] भी हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। यह कहते हुए उसने अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष एक अपील 25/2013 नम्बर से दर्ज करवायी गई। उक्त अपील में बाद सुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.10.2013 से नामातंरण संख्या 43 दिनांक 10.09.1998 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार गंगापुर को रिमाण्ड कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:55 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलांट द्वारा दिनांक 25.02.2013 को रेस्पोडेंट 2 से 5 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उनके नाम अंकित सम्पूर्ण हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर चुका था तथा उसके पक्ष में नामातंरण भी स्वीकृत हो चुका था। ऐसी स्थिति में अपीलांट को सुने बिना निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लघंन है।
2. अधीनस्थ न्यायालय में अपील में भूमिधारी तहसीलदार को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया था।
3. मियाद अवधि के बाहर होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को मियाद अवधि बाहर बताया गया है।
4. उर्मिला द्वारा भंवरलाल की बेटी होने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये। मगर फिर भी उसे भंवरलाल की पुत्री मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। उर्मिला को वादपत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अंत में निवेदन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2013 प्रकरण संख्या 25/2013 को निरस्त कर तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर द्वारा दिनांक 10.09.1998 को पारित नामातंरण संख्या 43 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र, धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र नियम 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल मय शपथ पत्र के प्रस्तुत थी।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

दिनांक 04.08.2022 को अपीलांट अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेंट 5 की तलबी बंद कर बहस सुनने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 05.01.2023 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेंट 5 की अवधि बंद करने का आदेश दिया गया तथा बहस हेतु फाइल नियत की जाकर दिनांक 02.02.2023 को लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु अभिभाषक महोदय द्वारा निवेदन किया गया। मगर उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। विवादित नामातंरण संख्या 43 दिनांक 10.09.1998 का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बिन्दु पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.10.2014 को गांव में अप्रार्थी द्वारा विवाद करने पर जानकारी हुई। दिनांक 27.10.2014 को भीलवाड़ा जाकर जानकारी प्राप्त कर दिनांक 28.10.2014 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा नकल दिनांक 21.10.2014 को प्राप्त हुई। दिनांक 03.11.2014 को अजमेर आकर अभिभाषक महोदय से सम्पर्क कर अपील तैयार करवायी गई। दिनांक 04.11.2014 से 06.11.2014 तक राजकीय अवकाश होने पर दिनांक 07.11.2014 को अपील प्रस्तुत की गई। अतः देरी को क्षमा किया जायें और गुणावगुण पर निर्णय प्रदान किया जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलाधीन कार्यवाही में अपीलांट पक्षकार नहीं था। अतः उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं रही होगी। अपीलांट के द्वारा दिनांक 07.11.2014 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः जानकारी दिनांक से अपील को शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसको पक्षकार नहीं बनाया गया था। जबकि वह विवादित भूमि पर काबिज होकर रिकोर्डेड काश्तकार है। अपीलाधीन आदेश से वह व्यथित पक्षकार है। अतः उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। क्योंकि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट 2 से 5 से उनका सम्पूर्ण हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर अपने पक्ष में नामातंरण खुलवाया है। मगर अपीलाधीन प्रकरण में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया था। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड खातेदार होने से वह व्यथित पक्षकार की श्रेणी में माना जाता है और उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 30 रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार उसके द्वारा विवादित नामातंरण की प्रमाणित प्रतिलिपी रेल से अजमेर आने के बाद भीड़ भाड़ में बैग चोरी हो जाने से खो गई। अतः इस समय फोटोप्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर रहा हूं। अतः अनुमति प्रदान की जावें। उनके द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली गई थी। मगर बैग चोरी हो जाने से मय फोटोप्रति प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दी जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र से उसके द्वारा भूमि क्रय की गई है। उसका कब्जा है। मगर अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया था। अतः अपीलाधीन आदेश की आड़ में अप्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु आमादा है। यदि वह इसमें सफल हो जाता है। तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अपीलाधीन प्रकरण 8/2013 उर्मिला बनाम मांगी बेवा एवं अन्य की न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 22.02.2013 से 09.10.2013 का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.02.2013 को दर्ज करवायी गई थी। दिनांक 25.02.2013 को विवादित भूमियां सीमा,लीला उर्फ नीलम, रविप्रकाश पिता दिनेश चन्द्र मु0 चन्द्रादेवी बेवा दिनेश चन्द्र जिनका विवादित खसरा नम्बर 1857,1858 में उनके सम्पूर्ण हिस्से को उनके द्वारा अपीलांट को बेचा दिया गया था। इस बाबत नामातंरण संख्या 2049 दिनांक 05.03.2013 को खोला जा चुका था। अपीलांट सुरेन्द्र सिंह पिता यशवंत सिंह चुण्डावत क्रेता का पूरा हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.04.2013 को राजस्व रिकोर्ड एवं दिनांक 09.10.2013 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय प्रदान करते हुए नामातंरण संख्या 43 दिनांक 10.09.1998 द्वारा तहसीलदार सहाड़ा को निरस्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार सहाड़ा को रिमाण्ड किया। जिसमें मृतक भंवरलाल की वैधानिक वारिसान समुच्चित जांच कर निर्णय हेतु कहा गया।

नामातंरण संख्या 2038 दिनांक 20.02.2013 से दिनेश चन्द्र पिता भंवरलाल की मृत्यु हो जाने से दिनेश चन्द्र की विरासत सीमा, लीला उर्फ नीलम, रविप्रकाश पिता दिनेश चन्द्र , रोहित नाबालिग पिता चन्द्रशेखर जरिये संरक्षक माता निर्मला, निर्मला बेवा चन्द्रशेखर मु0 चन्दादेवी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसके पश्चात सीमा, लीला उर्फ नीलम, रविप्रकाश पिता दिनेशचन्द्र, मु0 चन्दादेवी बेवा दिनेश चन्द्र द्वारा अपना विवादित खसरा नम्बरों में पुरा हिस्सा 1/5 अपीलांट को दिनांक 25.02.2013 को विक्रय कर दिया गया था। इसके आधार पर नामातंरण संख्या 49 दिनांक 05.03.2013 स्वीकृत किया गया था। अपीलांट द्वारा स्थगन आदेश से पूर्व भूमि क्रय की गई थी और उस दिनांक तक रेस्पोडेंट 2 से 5 को तामील भी अपीलाधीन प्रकरण में नहीं हुई थी।

यह भी सही है कि अपीलाधीन प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी अपील में नहीं जोड़ा गया था। इस प्रकार अपीलाधीन अपील नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेशरी पार्टीज के अवगुणों से पिड़ित थी। उर्मिलादेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वह भंवरलाल की पुत्री साबित होती हों। फिर भी प्रकरण को सही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किया गया है तथा यह भी कहा है कि भंवरलाल के वैधानिक वारिसान की जांच कर आगे कार्यवाही करें। इससे भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में यह साबित नहीं हुआ था कि उर्मिलादेवी मोहनलाल की ही पुत्री है।

न्यायालय अपीलांट की इस बात से सहमत नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील को मियाद बाहर होते हुए भी अंदर मियाद शुमार किया था। एकबार जब अपील को अंदर मियाद मान लिया जाता है तो अपर न्यायालय में मियाद के बिन्दु को पुनः विचारण नही किया जा सकता है। अतः अपीलांट का उक्त आक्षेप खारिज किया जाता है।

समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उन्हें पक्षकार की श्रेणी में नहीं जोड़ा गया था। अपीलाधीन निर्णय से पूर्व भूमि विवादित भूमि में रेस्पोडेंट 2 से 5 का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर लिया गया था। अपीलांट को भी आवश्यक पक्षकार के रूप में नही जोड़ा जाकर निर्णय कर लिया गया था। [illegible] अपीलांट स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:55 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 25/2013 उर्मिला बनाम मु0 मांगी एवं अन्य विरूद्ध नामातंरण संख्या 43 दिनांक 10.09.1998 निर्णय द्वारा तहसीलदार सहाड़ा निर्णय दिनांक 09.10.2013 को अपास्त किया जाता है। नामातंरण संख्या 43 दिनांक 10.09.1998 ग्राम कोशीथल को पुनः बहाल किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:55 IST
Reason: SelfAttested